न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 53/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जुगलकिशोर राव पुत्र सुरजकरण जाति राव ब्राह्मण निवासी खिंवसर जिला नागौर।		1 सुनील उपाध्याय पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 11 खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत खींवसर जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री शफीक खिलजी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

3 श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

दिनांक 17.01.2025

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पत्रावली संख्या /2019 जिसके द्वारा पटटा विलेख संख्या 2 दिनांक 19.06.2020 को प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 15.06.2020 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 02.11.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत की पत्रावली की फोटोप्रति, मौके की फोटो–1 की प्रति, पट्रोलियम के नियमों की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा विलेख दिनांक 30.08.24 की फोटोप्रति, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अनुमति दिनांक 19.07.24 की फोटोप्रति, विकास अधिकारी पंचायत समिति खींवसर के पत्र दिनांक 05.08.24 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–उक्त प्रकरण में 6500 वर्गफीट भूमि का भू उपयोग परिवर्तन किया गया है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को 200 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यक प्रयोजन के लिए आंवटन करने का अधिकार है उसे ज्यादा नहीं। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ने 6500 वर्गफीट भूमि का जो आवंटन किया है वह पूर्णतया क्षेत्राधिकार सें बाहर जाकर किया गया है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– आवंटन के संबंध में क्रय करने के लिए विधिवत रूप से आवेदन पत्र मय शुल्क एवं मय नक्शा के नियम 145 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तगर्त प्रस्तुत करना पडता है। हस्तगत प्रकरण में जो आवेदन पेश हुआ है उस आवेदन पत्र के साथ में न तो नक्शा पेश हुआ और न ही निर्धारित 25 रूपये स्थल निरीक्षण शुल्क व 25 रूपये नक्शा तैयार करवाने के बारे में कोई शुल्क पेश किया गया है। ऐसे शुल्क पेश नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसा आवेदन पत्र विधिवत रूप से पेश आवेदन पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदन पत्र को प्रारूप 21 में एक रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और फाइल खोलेगा। हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा न तो प्रारूप 21 में संधारित रजिस्टर में कोई इन्द्राज किया गया है न ही कोई फाइल खोली गई है। सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं पर भी सचिव के किसी भी आदेशिका पर या कहीं पर भी सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

17/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(5)– उक्त प्रकरण में जो पटटा विलेख नियम 173–क (14) के द्वारा जारी किया गया है उक्त पटटा विलेख पर कहीं पर भी सचिव/ग्राम सेवक के कोई हस्ताक्षर नहीं है जबकि गाम पंचायत के मामले में सचिव के हस्ताक्षर के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–किसी भी प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे सभी लम्बित पत्रावलियों के संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचो की समिति नियुक्त करने के लिए पंचायत में पत्रावली बैठक में रखेगा। हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु पंचो की समिति गठित करने बाबत कभी भी कोई कोई पत्रावली ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं रखी गयी है। इस आधार पर प्रस्ताव आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)– उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार स्थल निरीक्षण बाबत जो बिन्दु दिये गये है उन बिन्दुओ को लेकर किसी भी प्रकार से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है न ही ऐसा कोई निष्कर्ष दिया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 147 के अनुसार किसी भू भाग को विक्रय या आवंटन करने से पूर्व अन्तिम विनिश्चय प्रस्ताव के द्वारा लिया जाना प्रस्तावित होता है। हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम 147 के अनुसार कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं लिया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के अनुसार नोटिस बाबत आपति विज्ञप्ति का एक माह का जारी करना होता है। हस्तगत प्रकरण में जो आक्षेप जारी किये गये है वह आक्षेप विधि अनुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी नहीं हुए है इस प्रकार से विधि के उक्त प्रावधान की कोई पालना नहीं की गई है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)–उक्त प्रकरण में संबंधित भूमि की जो राशि वसूल की गई है वह भी पूर्णतया गलत रूप से अपर्याप्त राशि निर्धारित करके सरकारी कोष को भारी नुकसान पहुंचाया गया है तथा जो गणना करने का आधार लिया गया है वह पूर्णतया गलत अनुचित एवं अवैध है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(11)– उक्त प्रकरण में जो पटटा विलेख जारी किया गया है वह पटटा विलेख भी अपंजीकृत ऐसे अपंजीकृत देस्तावेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(12)– उक्त प्रकरण में जिस भूमि का भू रूपान्तरकरण किा गया है उक्त भूमि के दक्षिण तरफ तो अप्रार्थी संख्या एक ने अपने स्वयं की पटटासुदा भूमि होना बताया है ऐसी स्थिति में अगर जिस भूमि पर भू रूपान्तरकरण करके पेट्रोल पम्प लगाया जायेगा उसका निकाल तो दक्षिणी तरफ होना है और उक्त दक्षिणी तरफ स्थित भूमि आवासीय भूमि है तो ऐसी भूमि पर वाणिज्यक गतिविधियां बिना भू उपयोग परिवर्तन कैसे व किस प्रकार से संचालित होगी वह बडा ही विचारणीय बिन्दु है। वस्तुतः उक्त सारी कार्यवाही ही अवैध रूप से की हुई कार्यवाही है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(13)– उक्त प्रकरण में जो पत्रावली कायम हुई है उसमें प्रस्ताव संख्या ही खाली पडे है इससे साफ जाहिर है कि ऐसा कोई प्रस्ताव लिया ही नहीं गया है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(14)– उक्त प्रकरण में जो पत्रावली चलना बताया गया है उक्त पत्रावली मे कही पर भी सचिव/ग्राम सेवक के कही पर भी न तो हस्ताक्षर है एवं न ही कोई कार्यवाही का अंकन है। जबकि सचिव/ग्राम सेवक के द्वारा ही संपूर्ण पत्रावली संधारित की जाकर कार्यवाही की जाती है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(15)– उक्त प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 मे वर्णित विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुए की गई है जबकि उक्त संपूर्ण प्रक्रिया एवं प्रावधान आज्ञापक प्रकृति की है उनकी पालना किये बिना कोई कार्यवाही नही की जा सकती। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(16)– उक्त भूमि जहां पर पेट्रोल पम्प बाबत कार्यवाही किया जाना है उक्त भूमि के चारो तरफ आबादी आयी हुई है तथा उक्त भूमि के सामने व पीछे मंदिर व पास मे ही जैन समाज का धार्मिक उपासरा आया हुआ है एवं अन्य धार्मिक स्थान है ऐसी स्थिति मे सुरक्षा की दृष्टि से भी ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार से कोई पेट्रोल पंप हेतु भू उपयोग परिवर्तन विधि अनुसार नही किया जा सकता। इस आधार पर प्रस्ताव एंव आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

17/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(17)– उक्त भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व विभागो से अनापति प्रमाण पत्र लिया जाना आज्ञापक है ऐसे कोई अनापति प्रमाण पत्र नही लिये गये है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है।

2(18)– ग्राम पंचायत को पेट्रोल पंप हेतु कोई भू उपयोग परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार भी नही है इसलिये क्षेत्राधिकार के अभाव मे भी उक्त आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य था। इस आधार पर आदेश एवं प्रस्ताव जैर पुनरीक्षण निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (राज) 2015 (2) पेज नम्बर 595, डीएनजे (राज) 2005 (2) पेज नम्बर 963, डीएनजे (राज) 2010 (3) पेज नम्बर 1147, डीएनजे (राज) 2013 (1) पेज नम्बर 177 तथा डीएनजे (राज) 2009 (2) पेज नम्बर 982 नजीरे पेश की।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त अप्राथी संख्या 01 द्वारा पटटा हासिल करने हेतु विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत के 03 पंचों द्वारा विधिवत निरिक्षण कर रिपोर्ट पंचायत में प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गई तथा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर भी नोटिस पर करवाये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पटटा बनाते समय नियमानुसार 1,51,000/– रूपये ग्राम पंचायत में जमा कराये गये है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए उक्त पटटा जारी किया गया है, अतः प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पत्रावली संख्या /2019, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 15.06.2020 जिसके द्वारा पटटा विलेख संख्या 2 दिनांक 19.06.2020, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 19.09.2019 को विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण का नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146 के अनुसार उक्त पट्टा बनाते समय ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति की गई है तथा पचों की निरीक्षण रिपोर्ट भी ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के अनुसार ग्राम पंचायत ने विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। ग्राम पंचायत ने पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। ग्राम पंचायत खींवसर ने अपने पत्र क्रमांक 49 दिनांक 19.03.2021 द्वारा बताया कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/1/21

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर